



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,

रायपुर-थानों मार्ग निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून।

दूरभाष-9520991172, WhatsApp No- 9520991174 ई-मेल-chayanayog@gmail.com

संख्या: 3201 / 2025-26

देहरादून:

दिनांक 25 सितंबर, 2025

॥ कार्यालय ज्ञाप ॥

आयोग, उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 की धारा 2 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन) तथा धारा 4, धारा 7 एवं धारा 12 सपठित धारा 13 के अधीन परीक्षार्थी मौ० खालिद पुत्र श्री मौ० शहजाद, पता- BARA BAGAR, JAMA MASJID, SULTANPUR, ADAMPUR, HARIDWAR, UTTARAKHAND PIN CODE-247663 को प्रश्न-पत्र के तीन पृष्ठ मोबाईल के माध्यम से परीक्षा केन्द्र के बाहर भेजने संबंधी नकल प्रकरण में संलिप्त पाये जाने पर पुलिस द्वारा दिनांक 24.09.2025 को गिरफ्तारी कर लिए जाने के फलस्वरूप तत्कालिक प्रभाव से 05 वर्षों की कालावधि के लिए परीक्षा प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने से विवर्जित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,

(डा० शिव कुमार बरनवाल),
सचिव।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव कार्मिक एवं सतर्कता, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
5. सचिव, समस्त लोक सेवा आयोग, भारत के राज्य।
6. सचिव, समस्त अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।
7. सचिव, समस्त भर्ती चयन बोर्ड।
8. पंजीकृत डाक से मौ० खालिद, पुत्र श्री मौ० शहजाद, BARA BAGAR, JAMA MASJID, SULTANPUR, ADAMPUR, HARIDWAR, UTTARAKHAND PIN CODE-247663

(डा० शिव कुमार बरनवाल),
सचिव।